न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 47/2016 2016/00135
अनवान :—
श्री रमेशचन्द्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर—पश्चिम रेलवे, जोधपुर

प्रार्थी

—: बनाम :—

1. विकास पुरी पुत्र सतीश पुरी सेल्समेन ऑफ M/S बालान नेचुरल फूड प्राईवेट लि. (श्री छोटुगिरी FBO) प्लेट फॉर्म संख्या 1 बीकानेर ए.बी.एम. कियोस्क रेलवे स्टेशन बीकानेर, पता— 3 एन.पी. रायसिंहनगर श्रीगंगानगर
2. छोटू लाल गिरी M/S बालान नेचुरल फूड प्राईवेट लि. (श्री छोटुगिरी FBO) प्लेट फॉर्म संख्या 1 बीकानेर ए.बी.एम. कियोस्क रेलवे स्टेशन बीकानेर, पता— मकान संख्या 69, शिक्षक पथ रानी बाजार बीकानेर (राजस्थान)
3. M/S बालान नेचुरल फूड प्राईवेट लि. ए.बी.एम. कियोस्क रेलवे स्टेशन बीकानेर प्लेट फॉर्म संख्या 1 बीकानेर
4. रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर (मैनुफेक्चर भागीदार) पता— आयकर विभाग के सामने रानी बाजार बीकानेर 334001 (राज.)
5. द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र जुगल किशोर (मैनुफेक्चर भागीदार) पता— आयकर विभाग के सामने रानी बाजार बीकानेर 334001 (राज.)
6. छप्पनभोग, आर.डी.फूड्स रानीबजार बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से — श्री रमेशचन्द्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उ.प.रेलवे,जोधपुर
2. अप्रार्थी सं. 1 ता 3 — अनुपस्थित
3. अप्रार्थी सं. 4 ता 6 की ओर से — श्री शंकरलाल चौधरी अधिवक्ता

—: निर्णय :— **दिनांक 30.08.2018**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र, खाध सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16.11.2015 को प्रातःकाल 10.00 बजे M/S बालान नेचुरल फूड प्राईवेट लि. (श्री छोटुगिरी FBO) प्लेट फॉर्म संख्या 1 बीकानेर ए.बी.एम. कियोस्क रेलवे स्टेशन बीकानेर, के यहां निरीक्षण करने पर उक्त M/S बालान नेचुरल फूड प्राईवेट लि. (श्री छोटु गिरी FBO) ए.बी.एम कियोस्क के नाम से आवंटित है, बालान ए.बी.एम. कियोस्क पर श्री विकास पुरी पुत्र श्री सतीश पुरी सेल्समेन के रूप में कार्यरत थे, यात्रियों को चाय, समोसा, कोपता, पैकेजिंग ड्रिंकिग वाटर, कोल्ड ड्रिंक नाश्ता रसगुल्ला आदि विक्रय कर रहे थे। प्रार्थी ने श्री विकास पुरी पुत्र सतीश पुरी सेल्समेन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया और उक्त फुड ए.बी.एम. कियोस्क पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फुड ए.बी.एम. कियोस्क पर सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड विक्रय हेतु रखा हुआ पाया गया एवं विक्रय किया जा रहा था। ए.बी.एम. कियोस्क 18 डिब्बे पैक्ड अवस्था में विक्रय हेतु रखी हुई पायी गई। तदन्तर मिलावट/Misbranded का संदेह होने

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर उक्त सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड 18 डिब्बे में से 4 सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पन भोग ब्राण्ड (प्रत्येक डिब्बे में एक किलो ग्राम) सेल्समेन विकास पुरी से रूपये 720/– अखरे रूपये सात सौ बीस रूपये नगद देकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीद कर जिस पर सेल्समेन एवं गवाहन के हस्ताक्षर रसीद प्राप्त की। तदन्तर उक्त खरीदशुदा सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पन भोग ब्राण्ड में मिलावट को 4 सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड में से एक–एक डिब्बे को चार बराबर भागों में किया तथा प्रत्येक भाग पर कागज लपेटा एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक खाद्य नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं सिरियल संख्या NWR -174 विवरण दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं सेल्समेन श्री विकास पुरी तथा गवाहर के हस्ताक्षर करवायें चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज के रैपर में लपेट कर प्रत्येक भाग पर D.D./NWR/Jaipur की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप संख्या NWR-174 नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोन्द से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार ऊपर–नीचे, दाये–बांये सील चपड़ी किया प्रत्येक नमुना भाग पर सेल्समेन श्री विकासपुरी, गवाह एवं स्वयं के हस्ताक्षर पेपर स्लीप एवं रेफर दोनों पर एक साथ हस्ताक्षर करवाये एवं किये तथा उक्त चारों नमुना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। उक्त कार्यवाही पश्चात फर्द रिपोर्ट तैयार कर सेल्समेन एवं गवाहान को पढ़ कर सुना कर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विकास पुरी सेल्समेन ने पढ़ कर समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये। उक्त एक नमूना भाग सीलबंद कर सील मोहर रसगुल्ला छप्पन भोग ब्राण्ड को मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 13.01.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 द्वारा मिसब्राण्ड स्तर का सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड निर्मित एवं विकय कर खांद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपना जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Bikaneri Rasgulla" bearing Code No. and Sr. No. NWR-174 of Designated Officer cum The NWR (ACMD-H&FW)Jawahar Circle Jaipur. is Misbranded Food Under under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार अप्रार्थी के यहां सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का जवाब है कि अप्रार्थी बालान फूड नेचुरल प्राईवेट लि. एबीएम प्लेट फार्म नं. 1 रेल्वे स्टेशन में संचालन कर रहा था। छप्पन भोग आरडी फूड्स रानीबाजार से बिल नम्बर 2403 दिनांक 15.11.15 रसगुल्ला लगभग 20 डिब्बे खरीद किये गये थे प्रार्थी की एबीएम स्टाल पर वहीं रसगुल्ले विक्रय किये जा रहे थे। उक्त रसगुल्ला नमूना विश्लेषण के बाद मिसब्राण्ड पाया गया। अप्रार्थी जिस अवस्था में खरीदा था उसी पोजीशन में विक्रय एवं नमूना लिया गया था। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी को क्षमा करते हुवे निर्माता रसगुल्ला छप्पन भोग आरडी फूड्स रानी बाजार बीकानेर पर जुर्माना किया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि खा्दय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 42(2) के अनुसार खाद्य विश्लेषक के नमूना प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन के भीतर नमूना विश्लेषण कर रिपोर्ट नमूना अभिहित अधिकारी को भेजे जाने का आज्ञापक प्रावधान है। खाद्य विश्लेषक को 17.11.2015 को नमूना प्राप्ति हुआ था और नमूने की जांच 13.01.2016 को की गई थी। अतः धारा 42(2) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा खाद्य विश्लेषक ने अधिनियम की धारा 46(3) के प्रावधानों के अनुसार नमूना प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट अभिहित अधिकारी को भेजी है और ना ही खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात् अभियोजन की मंजूरी के लिए खाद्य सरक्षा आयुक्त को भेजी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना बीकानेर रेल्वे स्टेशन से लिया है जिसके लिए वो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत नहीं थे। अतः प्रकरण निरस्त योग्य होने के कारण अप्रार्थीगण को दोष मुक्त किया जाकर प्रकरण खारिज फरमाया जावें।

6. अप्रार्थी अधिवक्ता के आपत्ति/जवाब का खण्डन करते हुवे प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि खाद्य विश्लेषक ने नमूने की जांच में एफएसएसए 42(2) के प्रावधानों की पालना नहीं की है । एफएसएसए 2006 की धारा 46(3)II के प्रावधानों के अनुसार खाद्य विश्लेषक के अनुसार यदि 14 दिन में विश्लेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो इसकी अवधि बढाने की सूचना सुचना अभिहित अधिकारी एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा को देगा । इस प्रकरण में खाद्य विश्लेषक जयपुर राजस्थान के पत्रांक एफएसएसए/2015/1672 दिनांक 2.11.15 के द्वारा दिनांक 6.11.15 से 30.11.15 तक प्राप्त नमूनों की विश्नलेषण रिपोर्ट खाद्य नमूना प्राप्ति की दिनांक से 75 दिवस में प्रेषित करने का पत्र जारी कर दिया गया था। विश्लेषण रिपोर्ट उक्त समयावधि में ही प्रेषित की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSSAI की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार नोटिफिकेशन की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित अहर्ता पूर्ण करते है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ.प.रेलवे के समस्त कार्य क्षेत्र के लिए अधिसूचित एवं अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, जो बीकानेर रेलवे स्टेशन उ.प. रेलवे के अधीन हे। जांच की प्रयोगशाला FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं जांच के लिए अधिकृत है। न्याय निर्णयन की कार्यवाही माननीय न्यायालय में नियमानुसार की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

गई है। इस कार्यवाही में एफएसएसए की धारा 77 के प्रावधानों का पालन किया गया है इसलिए धारा 42(3) के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जवाब को खारिज करते हुए मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रसगुल्ला निर्मित/सप्लाई एवं विक्रय करने के लिए एफएसएसए के प्रावधानों के अनुसार इनके विरूद्ध सख्त जुर्माने की कार्यवाही की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गये सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S.3800/Act 2015/132 दिनांक 13.01.2016 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में में The sample of "Bikaneri Rasgulla" bearing Code No. and Sr. No. NWR-174 of Designated Officer cum The NWR (ACMD-H&FW)Jawahar Circle Jaipur. is Misbranded Food Under under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग ब्राण्ड मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

8. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **60,000/-** अखरे रूपये **साठ हजार रूपये** की शास्ति आरोपित की जाती है।

9. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

10. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 का ही परिलक्षित होता है । अतः कुल आरोपित शास्ति रू. 60000/- में से रूपये 45,000/- अखरे पैंतालीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 समान रूप से $^{1/3}$ शास्ति राशि यानि 15,000/-, 15,000/- रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 भरने हेतु दायी होगें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner

11. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 विक्रेता द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री सिल्ड पैक रसगुल्ला छप्पनभोग मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 15,000/– अखरे पन्द्रह हजार रूपये शेष अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 समान रूप से 1/3 शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित साठ हजार रूपये की शास्ति राशि में से पैंतालीस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 15–15 हजार रूपये (विनिर्माता) एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 5–5 हजार रूपये की शास्ति राशि अदा करेगें।

12. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा निदेशक (परिवार एवं कल्याण) उत्तर–पश्चिम रेलवे, प्रधान कार्यालय जयपुर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 3 को रजिस्टर्ड डाक से तथा अप्रार्थी पक्ष संख्या 4 ता 6 के प्राधिकृत प्रतिनिधि(अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(एस.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official